न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस
(प्रथम लिंक अधिकारी)

बलवंतदान व अन्य

बनाम

सोमदान इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
3. श्री पी.सी. पुरोहित, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन व चार

आदेश

दिनांक 14 जनवरी 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 405/2025 अनवान बलवंतदान व अन्य बनाम सोमदान इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 12 सितंबर 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 23 सितंबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खेत खसरा नंबर 140 रकबा 19.5301 हैक्टेयर मौजा गूंगा तहसील शिव वक्त बन्दोबस्त वादीगण/अपीलान्ट्स एवं प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 2 के दादा व प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 के पिता स्व. जेतदान वल्द धनदान के नाम से 1/2 हिस्सा दर्ज होने से वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पैतृक भूमि है, जिस पर अपीलांट्स अपने पैतृक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अंतरिम तौर पर साबित करने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट्स के पक्ष में मानते हुए दिनांक 26.08.2025 को अंतरिम आदेश पारित कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिये गये थे। हस्तगत मामले में उत्तरदाता संख्या 3 व 4 जो एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है, के द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन दिनांक 12.09.2025 पारित करवाया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 12.09.2025 में प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत मुख्य तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन पर किसी प्रकार का निष्कर्ष पारित नहीं किया है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि है। अपीलान्ट्स की पैतृक भूमि में अपीलान्टगण के पैतृक हिस्से से अधिक का बेचान उत्तरदाता संख्या 3 व 4 को गलत तरीके से किया गया है। वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के तहत अपीलान्टगण का पैतृक हिस्सा जेतदान वल्द धनदान के समय से निहित हो गया था, जो हिन्दू विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न था, जिसका निस्तारण मूल वाद में साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त किया जाना संभव था, लेकिन अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय ने प्रकरण के प्रारम्भिक स्तर पर ही सोमदान द्वारा उत्तरदाता संख्या 3 व 4 को गलत तरीके से किए गए बेचान व उसके आधार पर राजस्व रेकर्ड में उत्तरदाता संख्या 3 व 4 के नाम इन्द्राज होने को महत्वपूर्ण आधार बनाते हुए उत्तरदाता संख्या 3 व 4 को रेकर्डेड खातेदार होने का कथन कर अपीलान्टगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हित निहित नहीं होने का कथन कर अपीलार्थीगण के प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.08.2025 को अपने आदेश दिनांक 12.09.2025 में खारिज कर दिया जो आदेश विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व तथ्यों को दरकिनार कर पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज पर गौर नहीं किया गया है। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं माफिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 अप्रावा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा रेस्पोडेंट 4 तथा फतेहगढ़ आईवी ट्रांसमिशन लिमिटेड वादग्रस्त आराजीयात की रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। रेस्पो. कंपनी भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिसिटी/बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है, जो रिन्यूबल एनर्जी तथा ऊर्जा के ट्रांसमिशन हेतु ट्रांसमिशन सिस्टम, सब–स्टेशन तथा ग्रिड के विनिर्माण तथा स्थापना भारत सरकार तथा राज्य सरकार की पालिसी अनुसार करते है। वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट कंपनी द्वारा राजस्थान में फेज– III पार्ट A1 की 20 GW (गीगावाट) बिजली के इवैक्यूएशन के लिए स्थापित फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन सब–स्टेशन (ट्रांसमिशन सिस्टम) का एक भाग स्थित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों अनुसार विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय को अविवादित तथ्यों के आधार पर ही विधिसम्मत आदेश पारित करना होता है। वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान में प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी मशीनरी तथा उपकरण स्थापित हो चुके है। परियोजना को सक्रिय कर दिया गया है और औपचारिक चालू करने की सूचना अभी लंबित है।। यह एक राष्ट्रीय महत्व की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली की ट्रांसमिशन परियोजना है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में विवाद मुख्य रूप से सोम दान और उनके कानूनी वारिसों के बीच है और प्रतिवादी कंपनियों को अनावश्यक रूप से परेशान करने के इरादे से इसमें शामिल किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की अन्य कई पुश्तैनी भूमियॉ है, जिन्हें वाद में सम्मिलित नहीं किया गया है। केवल रेस्पोडेंट्स कंपनियों को परेशान करने के लिए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या तीन व चार वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 140 रकबा 19.5301 ग्राम गूंगा तहसील शिव के रेकर्डेड खातेदार दर्ज है तथा प्रस्तुत छायाचित्रों के मुताबिक रेस्पोडेंट्स कंपनियों द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ऊर्जा के ट्रांसमिशन हेतु राष्ट्रहित ट्रांसमिशन सिस्टम की स्थापना की गई है, जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो. कंपनी काबिज है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए उसके संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। रेस्पोडेंट्स की ओर से लिखित बहस में प्रस्तुत तथ्यों को के अनुसार अपीलांट्स की ग्राम गूंगा में स्थित अन्य पुश्तैनी भूमियां स्थित है, जिसे अपीलांट्स द्वारा अपने वादपत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे साबित है कि अपीलांट्स स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आये है। उक्त तथ्यों से साबित है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. कंपनी को परेशान करने के दुराश्य से केवल वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है। कानूनन बिना स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित व्यक्ति किसी प्रकार का अनुतोष प्रापित का हकदार नहीं है। अपीलांट्स की शेष पुश्तैनी भूमियों से उनके पुश्तैनी हिस्से की पूर्ति संभव है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में न पाये जाकर रेस्पो. संख्या तीन व चार के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर